अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

का0आ0सं0–निग / सारा–4(पथ)–आरोप–25 / 2019 पटना, दिनांक :– 14/5/19

कार्यालय आदेश -114

पथ प्रमंडल, अररिया अन्तर्गत भारत–नेपाल सीमा पथ में सिकटी से कुआड़ी के बीच कराये गये नाला निर्माण कार्य की उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–2, के द्वारा जाँचोपरांत समर्पित तत्संबंधी प्रारंभिक / गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोपरांत आलोच्य कार्य में पायी गयी कतिपय त्रुटियों / अनियमितताओं के लिए विभागीय पत्रांक–7649 (S)We दिनांक–17.08.2015 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में श्री रामरूप मंडल, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, अररिया सम्प्रतिः कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, अररिया के स्पष्टीकरण उत्तर पत्रांक–शून्य दिनांक–17.09.2015 द्वारा समर्पित किया गया।

(2) प्रश्नगत मामले में उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के उपरांत आलोच्य निर्माण कार्य में निम्न त्रुटियाँ / अनियमितता पायी गयीः–

(i) आलोच्य पथ के 8वें, एवं 10वं, कि०मी० में कराये गये नाला निर्माण में RCC का आसौत Compressive Strength 83.7 Kg/Cm^2 पाया गया, जबकि प्रावधान 200 Kg/Cm^2 का है।

(ii) आलोच्य पथ के 8वें एवं 10वें कि०मी० में कराये गये नाला निर्माण में PCC में सीमेंट, बालू एवं चिप्स के मिश्रण का औसत अनुपात 1:8,758:13234 पाया गया, जबकि प्रावधान 1:3:6 का है।

(iii) स्टैक से लिए गये 20mm Nominal एग्रीगेट औसतन 11.26% Oversize पाया गया, जो विभाग द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित मान्य मापदण्ड में निर्धारित विचलन 7.5% से अधिक है।

3. वर्णित पायी गयी त्रुटियों के संदर्भ में श्री मंडल, द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय तकनीकी समिति का मंतव्य प्राप्त किया गया, जिसके द्वारा विश्लेषणोंपरांत श्री मंडल, के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य पाये जाने की अनुशंसा की गई।

तदालोक में विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा में पाया गया कि श्री मंडल, के द्वारा अपने बचाव बयान में कोई ऐसा ठोस एवं खंडनयुक्त तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस पर युक्तिसंगत ढंग से विचार किया जा सके जिसके फलस्वरूप उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार किये जाने का कोई अवसर प्रतीत नही होता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा के क्रम में श्री मंडल, द्वारा दिनांक–17.09.2015 को समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली–2005) के नियम–14 के उपनियम–v के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जाता है :–

(1) तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अररिया/उप सचिव (प्र०को०) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना /अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/3/6/13/14, एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री रामरूप मंडल, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, अररिया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>निबंधित</u>

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 3716 (E) पटना, दिनांक :– 14/5/19

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

10/5/19

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

10/5